—: आदेश :—

मण्डी परिषद द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के निर्माण एवं विकास कार्यो के लिए वर्तमान व्यवस्था के तहत मण्डीवार धन आवन्टित किया जाता है। ऐसे दृष्टान्त सामने आये हैं जिनमें उप निदेशक (निर्माण/ वि0यां0) द्वारा बड़े पैमाने पर एक मण्डी के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो में एक कार्य से दूसरे कार्य पर धन का डायवर्जन किया जा रहा है। जिन कार्यो के लिए धन का आवन्टन किया गया है उस पर व्यय न कर अन्य कार्यों पर बिना किसी रोक–टोक के व्यय किया जा रहा है जो कि न केवल वित्तीय अनियमितता है अपितु यह अस्थायी गबन की श्रेणी में भी आता है। परिणामस्वरूप धनराशि अवमुक्ति के जो प्रस्ताव परिषद मुख्यालय को प्रेषित किये जा रहे हैं, वे सही नहीं पाये जा रहे हैं। अर्थात जो कार्य पूर्ण हो जाता है या पूर्ण हो गया है उनको अधूरा दर्शाकर उस पर धनराशि की माँग की जाती है जबकि मांग पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की समीक्षा पर कार्य की पूर्णता पायी गयी है। जिन कार्यो पर बिल्कुल कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है उसमें एम0पी0आर0 में भौतिक प्रगति गलत दर्शाने के भी कई मामले सामने आये हैं। इस प्रकार न केवल एक मण्डी के एक कार्य से दूसरे कार्य में बिना रोक–टोक के डायवर्जन किया जा रहा है अपितु एक निर्माण खण्ड में एक मण्डी से दूसरी मण्डी में भी धन के डायवर्जन की सूचना प्राप्त हुई है, जबकि ऐसा किया जाना पूर्व में प्रतिबन्धित किया जा चुका है। कुल मिलाकर धनराशि का बिना सक्षम स्तर से अनुमोदन के डायवर्जन करनें में गलत रिर्पोटिंग करने की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी हुई है। अतएव कार्यहित एवं जनहित में निम्नवत् आदेश प्रसारित किया जाता है:—

उप निदेशक (निर्माण/वि0यॉ0) धन मांग पत्र 20 कालम की सूचना मण्डीवार, अनुबन्धवार एवं कार्यवार मण्डी विकास निधि, सेस (शासन अंश), सेस (परिषद अंश) तथा परिषद निधि के अलग–अलग धन मांग पत्र एवं कार्यो की फोटो सहित, अवशेष दायित्वों का प्रारूप एवं स्वीकृतियां संलग्न कर मुख्य अभियन्ता को प्रेषित करेंगे। इस हेतु संशोधित 20 कालम का प्रारूप संलग्न है। स्थलीय फोटोग्राफ लेते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि मार्गो के फोटोग्राफ में यथा सम्भव कोई न कोई परिचयात्मक स्थायी लैण्ड मार्क स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। मुख्य अभियन्ता धन मांग एवं फोटो का परीक्षण करके मण्डीवार, निधिवार, अनुबन्धवार एवं कार्यवार अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित वित्त नियंत्रक को उपलब्ध करायेंगे। वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर मण्डी विकास निधि, सेस (शासन अंश), सेस (परिषद अंश) तथा परिषद निधि में धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए मण्डीवार, निधिवार, अनुबन्धवार एवं कार्यवार धन अवमुक्त किये जाने की संस्तुति कर पत्रावली अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करेंगे। धन अवमुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वित्त नियंत्रक धन अवमुक्ति आदेश मण्डीवार, अनुबन्धवार एवं कार्यवार निर्गत कराकर धनराशि ऑनलाईन बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत उप निदेशक (निर्माण/वि0यॉ0) को प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उप निदेशक (निर्माण/ वि0यां0) प्राप्त धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो पर करेंगे जिसके लिए धन का आवन्टन किया गया है। एक मण्डी से दूसरी मण्डी में अथवा एक मण्डी में एक कार्य से दूसरे कार्य में धन डायवर्जन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। इसके लिए उप निदेशक (निर्माण/ वि0यां0) पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

भविष्य में मासिक प्रगति रिपोर्ट में अनुबन्धवार, कार्यवार ही कार्यो की प्रगति एवं अन्य सूचनायें अंकित कर मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेंगी और तद्नुसार ही परिषद मुख्यालय पर इसका संकलन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

पूर्व में इस विषय पर निर्गत सभी निर्देश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और सभी सम्बन्धित द्वारा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(बीरेश कुमार)
मण्डी निदेशक

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक :लेखा/मं0वि0नि0/2012–2671 दिनांक: 10.02.2012

प्रतिलिपिः अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।
2. समस्त उप निदेशक (निर्माण/वि0यॉ0), मण्डी परिषद, उ0प्र0।
3. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, मण्डी परिषद, उ0प्र0।
4. समस्त सहायक अभियन्ता (सिविल/वि0यॉ0)/ अनुभाग अधिकारी निर्माण अनुभाग मण्डी परिषद मुख्यालय।

(बीरेश कुमार)
मण्डी निदेशक

धन मांग पत्र

निर्माण खण्ड –

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुबन्ध संख्या/दिनांक	परियोजना/कार्य की प्रशा0/वित्तीय स्वीकृति का सक्षम स्तर	क्र0–4 में अंकित कार्य की सक्षम स्तर से क्या प्रशा0/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है।	प्रशा0 वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की तिथि	वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अनुबन्ध की लागत	अनुबन्धित लागत के सापेक्ष अभी तक अवमुक्त धनराशि	अनुबन्धित लागत के सापेक्ष अवमुक्त हेतु अवशेष धनराशि	वर्तमान में प्रस्तावित धन को सम्मिलित करते हुए क्या अवमुक्त की गयी धनराशि स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत है। यदि नहीं तो क्यों।	मूलरूप से स्वीकृत परियोजना लागत वित्तीय स्वीकृति में क्या कोई बढोत्तरी हुई है?	यदि बढोत्तरी हुई तो उसका वित्तीय स्वीकृति से प्रतिशत	बढी हुई धनराशि की प्रशा0 एवं वित्तीय स्वीकृति क्या सक्षम स्तर से प्रदत्त है?	धनराशि अवमुक्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन क्या सुनिश्चित कर लिया गया है?	अनुबंध पर अब तक किया गया भुगतान	कार्य की भौतिक प्रगति प्रति0 में	धन की मांग माह	अनुबंध का प्रकार	अभ्युक्ति जिसमें अन्य बातों के अलावा कार्य, जिसके लिए धन की मांग की जा रही है के स्तर का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. उपरोक्त कार्य में से कोई भी कार्य भारत सरकार, राज्य योजना अथवा जिले की किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा है।
2. उपरोक्त कार्य जल निगम/लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार कराया जा रहा है।
3. उपरोक्त कार्यो के विषय में कोई जॉच/शिकायत लम्बित नहीं है।
4. उपरोक्त कार्यो में 2% कन्टीजेन्सी व्यय सम्मिलित नहीं है, जो अलग से देय है।
5. उक्त कार्यो पर अवमुक्त धनराशि रू0..............लाख में से रू0...............लाख का उपभोग कर लिया गया है तथा रू0...............लाख मैक्सफाल्ट एवं रू0.............लाख सीमेन्ट क्रय हेतु सम्बन्धित एजेन्सी को भेजी गई है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यो हेतु जो धन मांग की जा रही है उन कार्यो का अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। कृत कार्य विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप करायें गयें है जिनके भुगतान हेतु धन अवमुक्त करने की संस्तुति की जाती है।

सहायक लेखाधिकारी

उप निदेशक (निर्माण)